सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 16, मंगलवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 08, *2024*	
Asvina 16, Tuesday, Saka 1946- October 08, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 07, 2024

संख्या एफ.(27)(क)(40)गृह-2/2024 पार्ट1 :-राज्य सरकार, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 2(u) व राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 2 (k) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चण्डावल, सर्किल सोजतसिटी, उपखण्ड सोजतसिटी, जिला पाली को पुलिस चैकी से क्रमोन्नत कर पुलिस थाना घोषित करती है, जिसका स्थानीय क्षेत्राधिकार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करती है:-

क्र.सं.	पुलिस थाना चण्डावल का स्थानीय क्षेत्राधिकार	उक्त क्षेत्र पूर्व में जिन पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में था, का विवरण	
		थाना	सर्किल
1.	चण्डावल	सोजतसिटी	सोजतसिटी
2.	साण्डियां	सोजतसिटी	सोजतसिटी
3.	अटबड़ा	सोजतसिटी	सोजतसिटी
4.	बासना	सोजतसिटी	सोजतसिटी
5.	बोयल	सोजतसिटी	सोजतसिटी
6.	खोखरा	सोजतसिटी	सोजतसिटी
7.	रून्दिया	सोजतसिटी	सोजतसिटी
8.	छितरिया	सोजतसिटी	सोजतसिटी
9.	नाथल कुण्डी	सोजतसिटी	सोजतसिटी

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

कश्मी कौर,

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।